MOST IMMEDIATE
LEGISLATIVE MATTER

No.LLR-E(9)13/2014-Leg.
Government of Himachal Pradesh
Department of Law

.....

From:-

Kaul Singh Thakur,
Law Minister,
Himachal Pradesh.

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha,
Shimla-171004.

Dated: Shimla-171002, the 24th August, 2015.

Subject:- **Introduction of the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund, Bill, 2015 in the current session of Legislative Assembly-Notice thereof.**

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to introduce the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund, Bill, 2015(Bill No. 15 of 2015) in the Legislative Assembly during the current session.

2. Three authenticated copies of the above mentioned Bill are sent herewith.

Yours faithfully,

(Kaul Singh Thakur)
Law Minister,
Himachal Pradesh.

2015 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. प्ररिभाषाएं।
3. अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि।
4. कल्याण निधि समिति का गठन।
5. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की निरर्हता और उनका हटाया जाना।
6. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।
7. त्रुटि, रिक्ति आदि द्वारा समिति के कार्य का अविधिमान्य न होना।
8. निधि का निहित होना और उपयोजन।
9. समिति के कृत्य।
10. उधार लेना और निधि का विनिधान।
11. सचिव की शक्तियाँ और कृत्य।
12. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट।
13. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण।
14. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के कर्त्तव्य।
15. निधि की सदस्यता।
16. नियोजन की समाप्ति पर निधि से संदाय।
17. निधि में सदस्यों के हित के अन्यसंक्रामण, कुर्की आदि पर निर्बन्धन।
18. सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन बीमा और अन्य प्रसुविधाएं।
19. समिति की बैठकें।
20. समिति के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता।
21. पुनर्विलोकन।
22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
23. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।
24. साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति।
25. नियम बनाने की शक्ति।

अनुसूची।

2015 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिवक्ताओं के क्लर्कों की अभिवृद्धि के लिए कल्याण निधि का गठन करने और उसका उपयोग करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अधिनियम, 2015 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिवक्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार की गई और अनुरक्षित अधिवक्ताओं की राज्य नामावली में दर्ज किया गया है और जो किसी विधिज्ञ संगम या अधिवक्ता संगम का सदस्य है;

(ख) ''अधिवक्ता का क्लर्क'' से किसी अधिवक्ता द्वारा नियोजित और ऐसे प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, मान्यता प्राप्त क्लर्क अभिप्रेत है और जो अधिवक्ताओं के क्लर्कों के किसी संगम का सदस्य है;

(ग) ''अधिवक्ताओं के क्लर्कों का संगम'' से धारा 13 के अधीन मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं के क्लर्कों का संगम अभिप्रेत है;

(घ) ''विधिज्ञ संगम'' से हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 14 के अधीन विधिज्ञ परिषद् से मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं का संगम अभिप्रेत है;

(ङ) ''विधिज्ञ परिषद्'' से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है;

(च) ''नियोजन की समाप्ति'' से समिति द्वारा अनुरक्षित राज्य नामावली से किसी अधिवक्ता के क्लर्क के नाम का, उसकी सेवानिवृत्ति के कारण, हटाया जाना अभिप्रेत है;

(छ) ''समिति'' से धारा 4 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि समिति अभिप्रेत है;

(ज) ''आश्रित'' से निधि के मृतक सदस्य का निम्नलिखित में से कोई सम्बन्धी अभिप्रेत है, अर्थात्:–

(i) विधवा, अवयस्क धर्मज पुत्र, अविवाहित धर्मज पुत्री या विधवा माता; और

(ii) वयस्क धर्मज पुत्र या धर्मज विवाहित पुत्री जो अंग–शैथिल्य के फलस्वरुप सदस्य की कमाई पर, उसकी मृत्यु के समय, पूर्णतः आश्रित है;

(झ) ''निधि'' से धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(ञ) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ट) ''निधि का सदस्य'' से अधिवक्ता का ऐसा क्लर्क अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निधि की प्रसुविधा के लिए सम्मिलित किया गया है और जो उसका सदस्य बना रहता है;

(ठ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द ''अधिसूचित'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''सेवानिवृत्ति'' से विहित रीति में संसूचित और अभिलिखित किसी अन्य सेवा में कार्यग्रहण करने या अन्य लाभप्रद व्यवसाय को कार्यान्वित करने से भिन्न किसी कारण से अधिवक्ता के क्लर्क के रूप में नियोजन बन्द करना अभिप्रेत है;

(ण) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) ''टिकट (स्टाम्प)'' से धारा 12 के अधीन मुद्रित और वितरित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट अभिप्रेत है; और

(थ) ''वकालतनामा'' से वकालतनामा, हाजिरी ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई अधिवक्ता या कोई अन्य स्थानीय प्रैक्टिशनर किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष हाजिर होने और अभिवाक करने के लिए सशक्त है।

अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि।

3. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन करेगी।

(2) निधि में निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,—

(क) धारा 12 के अधीन टिकटों के विक्रय द्वारा संगृहीत समस्त रकमें;

(ख) विधिज्ञ परिषद्, किसी विधिज्ञ संगम, किसी अन्य संगम या संस्था, किसी अधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निधि में किया गया कोई स्वैच्छिक दान या अभिदाय;

(ग) धारा 10 के अधीन उधार ली गई कोई राशि;

(घ) सामूहिक बीमा पॉलिसी के अधीन निधि के सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त समस्त राशियाँ;

(ङ) सामूहिक बीमा पॉलिसी के अधीन किसी सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश;

(च) निधि के किसी भाग के किसी भी विनिधान पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य प्रत्यागम; और

(छ) धारा 15 के अधीन संगृहीत समस्त राशियाँ।

कल्याण निधि समिति का गठन।

4. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करेगी।

(2) समिति एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्यय करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) समिति का गठन निम्नलिखित से होगा, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् — पदेन अध्यक्ष;

(ख) सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार —पदेन सदस्य;

(ग) सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार —पदेन सदस्य;

(घ) सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार —पदेन सदस्य;

(ङ) रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय; —पदेन सदस्य;

(च) ऐसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अधिवक्ताओं के क्लर्कों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्य जिसमें से एक को समिति द्वारा निधि के राज्य कोषाध्यक्ष के रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(छ) ऐसे विनियमों, जैसे समिति द्वारा सचिव की भर्ती और सेवा शर्तों की बाबत बनाए जाएं, के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सचिव :

परन्तु इस प्रकार नियुक्त सचिव को समिति की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि सचिव (विधि), सचिव (गृह) या सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अपने विभाग के किसी अधिकारी, जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(5) यदि रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो वह किसी अधिकारी, जो उप रजिस्ट्रार की पंक्ति से नीचे का न हो, को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(6) उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, अपने ऐसे नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम का सदस्य नहीं रहता है, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(7) सचिव को निधि में से ऐसा पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए ।

समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की निरर्हता और उनका हटाया जाना।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य समिति का सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा और ऐसा सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह–

(क) विकृत चित हो जाता है; या

(ख) न्यायनिर्णीत दिवालिया है; या

(ग) समिति की अनुमति के बिना समिति की लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है:

परन्तु इस खण्ड के अधीन सदस्य के पद पर न रहने पर उसे समिति द्वारा प्रत्यावर्तित किया (वापिस लिया) जा सकेगा यदि ऐसा सदस्य अनुपस्थिति की माफी के लिए आवेदन करता है; या

(घ) निधि का व्यतिक्रमी है (यदि वह निधि का सदस्य है) या उसने न्यास भंग किया है; या

(ङ) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक ऐसी दोषसिद्धि अपास्त न कर दी गई हो।

(2) अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो उपधारा (1) के अधीन निरर्हित है या हो गया है, समिति की सदस्यता से हटा सकेगा:

परन्तु किसी सदस्य को हटाए जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

6. (1) धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित में तीन मास का नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद छोड़ दिया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति यथाशक्य शीघ्र भरी जाएगी और ऐसी रिक्ति के लिए इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य अपने पूर्ववर्ती की अवधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

त्रुटि, रिक्ति आदि द्वारा समिति के कार्य का अविधिमान्य न होना।

7. समिति द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी–

(क) समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि या कोई अनियमितता; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो।

निधि का निहित होना और उपयोजन।

8. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और इसके प्रयोजनों के लिए निधि समिति में निहित होगी और उस द्वारा धारित और उपयोजित की जाएगी।

समिति के कृत्य।

9. (1) निधि को प्रशासित करना समिति का कृत्य होगा।

(2) निधि के प्रशासन में समिति, अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन–

(क) निधि से सम्बन्धित रकमों और परिसम्पत्तियों को धारण करेगी;

(ख) निधि में प्रवेश या पुनः प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और ऐसे आवेदनों का उनकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा करेगी;

(ग) निधि में से संदाय करने के लिए, यथास्थिति, निधि के सदस्यों, उनके नामनिर्देशितियों या अन्य विधिक वारिसों से आवेदन प्राप्त करेगी;

(घ) ऐसे आवेदनों का निपटारा करने के लिए ऐसी जांच करेगी, जो वह आवश्यक समझे तथा आवेदनों का उनकी प्राप्ति की तारीख से पांच मास के भीतर निपटारा करेगी;

(ङ) आवेदनों पर अपना विनिश्चय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करेगी;

(च) आवेदकों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर रकम संदत्त करेगी;

(छ) ऐसे लेखे और बहियां बनाए रखेगी और विधिज्ञ परिषद् को ऐसी कालिक और वार्षिक रिपोर्टें भेजेगी, जैसी विहित की जाएं;

(ज) निधि में प्रवेश या पुनः प्रवेश या निधि की प्रसुविधा के दावों के लिए आवेदनों की बाबत समिति के विनिश्चय डाक प्रमाणन के अधीन आवेदकों को सूचित करेगी; और

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाने अपेक्षित हैं या किए जाएं।

उधार लेना और निधि का विनिधान।

10. (1) समिति, विधिज्ञ परिषद् के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगी।

(2) समिति, निधि के भागरूप समस्त राशियां और प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी या उनका केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम को ऋण देने में या किसी अन्य रीति में, जैसे विधिज्ञ परिषद् सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय–समय पर निदेश दे, विनिधान करेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन शोध्य और संदेय सभी रकमें और निधि के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित सभी व्यय निधि में से संदत्त किए जाएंगे।

(4) समिति के लेखों की समिति द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउटैंट द्वारा वार्षिक संपरीक्षा की जाएगी।

(5) संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ समिति द्वारा विधिज्ञ परिषद् को अग्रेषित किए जाएंगे और विधिज्ञ परिषद् उसकी बाबत समिति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसे वह उचित समझे।

(6) समिति, उपधारा (5) के अधीन विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी निदेशों का पालन करेगी।

सचिव की शक्तियां और कृत्य।

11. समिति का सचिव–

(क) समिति का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा और इसके विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए दायी होगा;

(ख) समिति के लिए और उसके विरुद्ध सभी वादों और कार्यवाहियों में समिति का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ग) समिति के सभी विनिश्चयों और अनुदेशों को अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करेगा;

(घ) समिति के बैंक खातों का कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्ततः प्रचालन करेगा;

(ङ) समिति की बैठकें बुलाएगा और उनके कार्यवृत्त तैयार करेगा;

(च) समस्त आवश्यक अभिलेखों और सूचना सहित समिति की बैठकों में हाजिर होगा;

(छ) ऐसे प्ररूप, रजिस्टर और अन्य अभिलेख बनाए रखेगा, जैसे विहित किए जाएं और समिति से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार करेगा;

(ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति द्वारा संव्यवहारित कारबार का वार्षिक विवरण तैयार करेगा; और

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो समिति द्वारा निदिष्ट किए जाएं।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट।

12. (1) विधिज्ञ परिषद् द्वारा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रत्येक पांच रुपए मूल्य की "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि" शब्दों से अन्तर्लिखित टिकट मुद्रित की जाएगी या करवाई जाएगी।

(2) किसी न्यायालय, प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष दायर किए जाने वाले प्रत्येक वकालतनामे या हाजिरी ज्ञापन के साथ न्यायालय फीस टिकटों, यदि कोई हैं, के अतिरिक्त उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट टिकट चिपकाई जाएगी और किसी अन्य अधिनियम के अधीन वकालतनामों या हाजिरी ज्ञापन से चिपकाई गई टिकट तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि इसके साथ ऐसी टिकट न चिपकाई गई हो :

परन्तु यह उपधारा केन्द्रीय या राज्य सरकार की ओर से दायर किए जाने वाले किसी वकालतनामे या हाजिरी ज्ञापन के लिए लागू नहीं होगी।

(3) ऐसी टिकट के साथ वकालतनामा प्राप्त करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी तत्काल उसे पंच करके टिकट को रद्द करेगा।

(4) इस धारा के अधीन मुद्रित टिकटें विधिज्ञ परिषद् की अभिरक्षा में रहेंगी और टिकटों का प्रदाय और विक्रय ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण

13. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् गठित अधिवक्ताओं के क्लर्कों का कोई संगम, ऐसे गठन की तारीख से दो मास के भीतर और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व गठित अधिवक्ताओं के क्लर्कों का कोई संगम, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो मास के भीतर, समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के रूप में मान्यता प्राप्त करने और उसका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) मान्यता प्रदान करने और रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संगम के नियम या उपविधियां, संगम के पदाधिकारियों के नाम और पते तथा संगम के सदस्यों की, प्रत्येक सदस्य के नाम, पते, आयु और नियोजन के सामान्य स्थान दर्शित करती एक अद्यतन सूची, लगाई जाएंगी।

(3) समिति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी यह आवश्यक समझे, संगम को अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के रूप में मान्यता दे सकेगी और ऐसे प्ररूप में मान्यता का प्रमाण–पत्र ज़ारी करेगी, जैसा विहित किया जाए।

(4) संगम की मान्यता से सम्बन्धित समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के कर्त्तव्य।

14. (1) अधिवक्ताओं के क्लर्कों का प्रत्येक संगम, प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को या इससे पूर्व उस वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान अपने सदस्यों की एक सूची समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिवक्ताओं के क्लर्कों का प्रत्येक संगम,––

(क) अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के पदाधिकारियों में किसी परिवर्तन की, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर;

(ख) प्रवेश और पुनः प्रवेश सहित सदस्यों की संख्या में परिवर्तन की, ऐसे परिवर्तन से तीस दिन के भीतर;

(ग) इसके किसी सदस्य की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की, ऐसा होने की तारीख से तीस दिन के भीतर;

(घ) ऐसे अन्य मामलों की, जो समय–समय पर समिति द्वारा अपेक्षित हों,

सूचना समिति को देगा।

निधि की सदस्यता।

15. (1) राज्य में अधिवक्ता का प्रत्येक क्लर्क, समिति को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर समिति ऐसी जांच करेगी जैसी वह उचित समझे और या तो आवेदक को निधि में प्रवेश देगी या कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आवेदन नामंजूर करेगी :

परन्तु किसी आवेदन को रद्द करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) प्रत्येक आवेदक, आवेदन के साथ समिति के लेखे में एक सौ रुपए की आवेदन फीस का संदाय करेगा।

(4) प्रत्येक आवेदक प्रवेश या पुनः प्रवेश के समय एक सौ रुपए की प्रवेश फीस का निधि में संदाय करेगा।

(5) निधि के सदस्य के रूप में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति दो बराबर अर्धवार्षिक किश्तों में एक हजार पाँच सौ रुपए की सदस्यता फीस का संदाय करेगा।

(6) निधि का प्रत्येक सदस्य, अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में निधि से रकम को प्राप्त करने का अधिकार अपने परिवार के एक या एक से अधिक आश्रितों को प्रदत्त करते हुए, प्रवेश के समय नामनिर्देशन करेगा । तथापि, यदि उसका कोई परिवार नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति, जिसे वह चाहे, को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(7) यदि एक से अधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए गए हैं तो प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय भाग की रकम नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(8) निधि का कोई भी सदस्य किसी भी समय किसी नामनिर्देशन को, समिति को नए नामनिर्देशन सहित लिखित में नोटिस भेज करके, रद्द कर सकेगा।

(9) जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा समिति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिवक्ता के क्लर्क ने निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश दुर्व्यपदेशन, कपट या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया है तो समिति को अधिवक्ता के ऐसे क्लर्क के नाम को निधि की सदस्यता से हटाने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिकूलतः संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

नियोजन की समाप्ति पर निधि से संदाय।

16. (1) निधि का सदस्य नियोजन की समाप्ति पर निधि में से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में पचास हजार रुपए की समेकित रकम नामनिर्देशिती को या, जहां कोई नामनिर्देशिती नहीं है, उसके आश्रितों को संदत्त की जाएगी।

(3) निधि का कोई भी सदस्य निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के पांच वर्ष के पश्चात् किसी भी समय अपनी सदस्यता प्रत्याहृत कर (वापिस ले) सकेगा और ऐसे प्रत्याहरण पर वह निधि में से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, रकम प्राप्त करने का हकदार होगा तथा वह निधि में ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, नए सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश के लिए भी पात्र हो सकेगा :

परन्तु स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त कोई सदस्य किसी भी समय अपनी सदस्यता प्रत्याहृत कर सकेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन संदाय के प्रयोजन के लिए नियोजन के संपूरित वर्षों की अवधि की संगणना के लिए किसी अधिवक्ता के अधीन नियोजन, यदि कोई है, के प्रत्येक चार वर्षों को निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश से पूर्व, नियोजन का एक वर्ष संगणित किया जाएगा और ऐसे प्रवेश के पश्चात् नियोजन के वर्षों की संख्या में जोड़ा जाएगा।

(5) निधि से संदाय के लिए आवेदन समिति को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा विहित किया जाए।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्राप्त आवेदन का, समिति द्वारा ऐसी जांच के पश्चात् निपटारा किया जाएगा जैसी वह आवश्यक समझे।

निधि में सदस्यों के हित के अन्यसंक्रामण, कुर्की आदि पर निर्बन्धन।

17. (1) निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों का निधि से किसी रकम को प्राप्त करने का हित या अधिकार समनुदेशित, अन्यसंक्रामित या भारित नहीं किया जाएगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगा।

(2) कोई भी लेनदार निधि या निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों के उसमें हित के विरुद्ध कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए "लेनदार" के अन्तर्गत राज्य, या दिवालिया से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियुक्त कोई शासकीय समनुदेशिती या शासकीय प्रापक है।

सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन बीमा और अन्य प्रसुविधाएं।

18. समिति, निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए,—

(क) निधि के सदस्यों के लिए जीवन की सामूहिक बीमा पॉलिसियां भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कम्पनी से ले सकेगी; और

(ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं और ऐसी अन्य प्रसुविधाओं, जैसी विहित की जाएं, के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

समिति की बैठकें।

19. (1) समिति तीन मास में कम से कम एक बार या एक से अधिक बार बैठकें करेगीं यदि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन इसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक समझा जाए ।

(2) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

(3) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य करेगा।

(4) बैठक में समिति के समक्ष रखा जाने वाला कोई मामला बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

समिति के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता।

20. समिति के नामनिर्देशित सदस्य ऐसा यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे, जैसा विहित किया जाए ।

पुनर्विलोकन।

21. समिति, स्वप्रेरणा से, किसी भी समय या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर इसके द्वारा पारित किसी आदेश के नब्बे दिन के भीतर, ऐसे किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी :

परन्तु समिति किसी व्यक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

22. (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित हुए या संभाव्य कारित होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समिति या विधिज्ञ परिषद् के विरुद्ध न होगी।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

23. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न को तय करने, विनिश्चित करने या निपटाने की या किसी विषय को अवधारित करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा तय करना, विनिश्चित करना या निपटाया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित है।

साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति।

24. समिति को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं :–

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना या शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनको प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य लेना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

नियम बनाने की शक्ति ।

25. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् , यथास्थिति, नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु किसी ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभाव होने से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

{धारा 2 (ण), 9 (2) (च), 16 (1) और (3) देखें}

		रुपए
निधि के सदस्य के रूप में एक वर्ष	–	2,000
निधि के सदस्य के रूप में दो वर्ष	–	4,000
निधि के सदस्य के रूप में तीन वर्ष	–	6,000
निधि के सदस्य के रूप में चार वर्ष	–	8,000
निधि के सदस्य के रूप में पाँच वर्ष	–	10,000
निधि के सदस्य के रूप में छह वर्ष	–	12,000
निधि के सदस्य के रूप में सात वर्ष	–	14,000
निधि के सदस्य के रूप में आठ वर्ष	–	16,000
निधि के सदस्य के रूप में नौ वर्ष	–	18,000
निधि के सदस्य के रूप में दस वर्ष	–	20,000
निधि के सदस्य के रूप में ग्यारह वर्ष	–	22000
निधि के सदस्य के रूप में बारह वर्ष	–	24,000
निधि के सदस्य के रूप में तेरह वर्ष	–	26,000
निधि के सदस्य के रूप में चौदह वर्ष	–	28,000
निधि के सदस्य के रूप में पन्द्रह वर्ष	–	30,000
निधि के सदस्य के रूप में सोलह वर्ष	–	32,000
निधि के सदस्य के रूप में सतरह वर्ष	–	34,000
निधि के सदस्य के रूप में अठारह वर्ष	–	36,000
निधि के सदस्य के रूप में उन्नीस वर्ष	–	38,000
निधि के सदस्य के रूप में बीस वर्ष	–	40,000
निधि के सदस्य के रूप में इक्कीस वर्ष	–	42,000
निधि के सदस्य के रूप में बाईस वर्ष	–	44,000
निधि के सदस्य के रूप में तेइस वर्ष	–	46,000
निधि के सदस्य के रूप में चौबीस वर्ष	–	48,000
निधि के सदस्य के रूप में पच्चीस वर्ष	–	50,000
निधि के सदस्य के रूप में छब्बीस वर्ष	–	52,000
निधि के सदस्य के रूप में सत्ताईस वर्ष	–	54,000
निधि के सदस्य के रूप में अट्ठाईस वर्ष	–	56,000
निधि के सदस्य के रूप में उनतीस वर्ष	–	58,000
निधि के सदस्य के रूप में तीस वर्ष	–	60,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ क्लर्क संगम ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में एक रिट पिटिशन (सिविल) संख्याः 959 ऑफ 2014 नामतः सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्कस एसोशिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स दायर की है और उसमें हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रतिवादी (प्रत्यर्थी) संख्याः 16 बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने, विधान विरचना कार्य आरम्भ करके संविधान के अधीन प्रत्याभूत सामाजिक सुरक्षा उपायों के अधिकार के कार्यान्वयन सहित विभिन्न अनुतोष चाहे हैं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अधिवक्ताओं के क्लर्क, अधिवक्ताओं की उनके मुवक्किलों की सेवा में सहायता करने हेतु, बिना किसी अवकाश या छुट्टी की सुविधा के उपभोग के, प्रायः दिन और रात कार्य करते हैं। इनके कार्य का स्वरुप इस प्रकार का है कि ये क्लर्क अनुपस्थित नहीं रह सकते। यद्यपि विधिक सेक्टर में कुछ क्लर्कों को अन्य सेक्टरों में क्लर्कों की अपेक्षा अधिवक्ताओं और वादकारियों द्वारा उदारतापूर्वक संदाय (भुगतान) किया जाता है परन्तु सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधाओं हेतु इसे एक अनुकल्प के रुप में नहीं समझा जाता है। यह पाया गया है कि सामाजिक सुरक्षा उपाय क्लर्कों और उनके आश्रितों के मन में सुरक्षा और सम्मान की भावना भरते हैं जो कि न्याय प्रदाय प्रणाली में दक्षता में योगदान के लिए लम्बे समय तक सहायक हो सकती है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि न्याय की सेवा में तीन से चार दशकों तक कार्य करने के पश्चात् भी उन्हें कतिपय उपकार (दान) के सिवाय कोई आश्वस्त प्रसुविधाएं नहीं मिलती हैं। कभी–कभी कुछ क्लर्कों की असामयिक मृत्यु, उनके परिवारों की गरीबी को अनावृत्त कर देती है। उन्हें वित्तीय और सामाजिक प्रसुविधाएं प्रदान करने के आशय से, एक ऐसी विधि ा लाना तर्कसंगत और युक्तियुक्त समझा गया है जो राज्य में अधिवक्ताओं के क्लर्कों को सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु हो जाने पर कतिपय वित्तीय प्रसुविधाओं का उपबन्ध कर सके। इसलिए एक ऐसी विधि अधि ानियमित करने का विनिश्चय किया गया है जो राज्य में अधिवक्ताओं के क्लर्कों की अभिवृद्धि के लिए कल्याण निधि का गठन और इसके उपयोजन हेतु उपबन्ध कर सके। इस विधान का मुख्य उद्देश्य "अधि ावक्ता के क्लर्कों की कल्याण निधि" नाम से ज्ञात एक निधि का गठन करना है। निधि को, अधिवक्ता के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकटों की बिक्री विधिज्ञ परिषद्, किसी विधिज्ञ संगम या किसी अन्य संस्था, अधिवक्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी स्वैच्छिक दान या योगदान से, बीमा कम्पनियों से प्राप्त रकम और रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता और प्रवेश फीस के एवज में प्राप्त रकम द्वारा संचालित किया जाएगा। अधिवक्ताओं के क्लर्क, निधि के सदस्य बन जाने के पश्चात् प्रस्तावित विधान की अनुसूची के अनुसार किसी नियत रकम के लिए हकदार होंगे और किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या उसके आश्रितों को पचास हजार रुपए की समेकित रकम संदत्त की जाएगी। यह एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधान है जो अधिवक्ताओं के क्लर्कों को, समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए असीम रुप से प्रसुविधा प्रदान करेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कौल सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ...., 2015

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 25 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिवक्ताओं के क्लर्कों की अभिवृद्धि के लिए कल्याण निधि का गठन करने और उसका उपयोग करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

(कौल सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ...., 2015

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 15 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATE'S CLERKS WELFARE FUND BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATE'S CLERKS WELFARE FUND BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Advocate's Clerks Welfare Fund.
4. Establishment of Welfare Fund Committee.
5. Disqualification and removal of nominated members of the Committee.
6. Resignation by nominated members of the Committee and filling up of casual vacancies.
7. Act of the Committee not to be invalid by defect, vacancy etc.
8. Vesting and application of Fund.
9. Functions of the Committee.
10. Borrowing and investment of Fund.
11. Powers and functions of the Secretary.
12. Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund Stamp.
13. Recognition and registration of Advocate's Clerks Association.
14. Duties of Advocate's Clerks Association.
15. Membership of the Fund.
16. Payment from the Fund on cessation of employment.
17. Restriction on alienation, attachment etc. of interest of members in the Fund.
18. Group Life Insurance and other benefits for members.
19. Meetings of the Committee.
20. Travelling and daily allowance to the members of the Committee.
21. Review.
22. Protection of action taken in good faith.
23. Bar of jurisdiction of Civil Courts.
24. Power to summon witnesses and take evidence.
25. Power to make rules.

Schedule.

BILL No. 15 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATE'S CLERKS WELFARE FUND BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the constitution of a Welfare Fund and utilization thereof for promotion of the Advocates clerks in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund Act, 2015.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Advocate" means a person whose name has been entered in the State roll of Advocates prepared and maintained by the Bar Council of Himachal Pradesh under section 17 of the Advocates Act, 1961 and who is a member of a Bar Association or an Advocates Association;

(b) "Advocate's clerk" means a clerk employed by an Advocate and recognized by such authority and in such manner as may be prescribed and who is a member of an Advocates Clerks Association;

(c) "Advocate's Clerk Association" means an Association of Advocate's clerks recognized and registered under section 13;

(d) "Bar Association" means an association of Advocates recognized and registered by the Bar Council under section 14 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996;

(e) "Bar Council" means the Bar Council of Himachal Pradesh constituted under section 3 of the Advocates Act, 1961;

(f) "cessation of employment" means removal of the name of an Advocate's clerk from the State roll maintained by the Committee on account of his retirement;

(g) "Committee" means the Himachal Pradesh Clerks Welfare Fund Committee constituted under section 4;

(h) "dependant" means any of the following relatives of a deceased member of the Fund, namely :—

(I) widow, minor legitimate son, unmarried legitimate daughter or widowed mother; and

(II) major legitimate son or legitimate married daughter who by virtue of infirmity is wholly dependent on the earnings of the member at the time of his death;

(i) "Fund" means the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund constituted under section 3;

(j) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(k) "Member of the Fund" means an Advocate's clerk admitted to the benefit of the Fund and continuing to be a member thereof under the provisions of this Act;

(l) "notification" means a notification published in Rajpatra, Himachal Pradesh and the word 'notified' shall be construed accordingly;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "retirement" means stoppage of employment as an Advocate's clerk for reason other than joining service or for carrying on any other gainful occupation, communicated to and recorded in the prescribed manner;

(o) "Schedule" means schedule appended to this Act;

(p) "stamp" means the Himachal Pradesh Advocates Clerk Welfare Fund stamp printed and distributed under section 12; and

(q) "vakalatnama' means a vakalatnama, memorandum of appearance or any other document by which an Advocate or any other local practitioner is empowered to appear and plead before any court, tribunal or other authority.

Advocate's Clerks Welfare Fund.

3. (1) The Government shall, by notification, constitute a Fund to be called "the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund."

(2) There shall be credited to the Fund,—

(a) all amounts collected by way of sale of stamps under section 12;

(b) any voluntary donations or contribution made to the Fund by the Bar Council, any Bar Association, any other Association or Institution, any Advocate or any other person;

(c) any sum borrowed under section 10;

(d) all sums received from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Company on the death of a member of the Fund under a Group Insurance Policy;

(e) any profit or dividend received from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Company on the death of a member of the Fund under a Group Insurance Policy;

(f) any interest or dividend or other returns on any investment made of any part of the Fund; and

(g) all sums collected under section 15.

Establishment of Welfare Fund Committee.

4. (1) The Government shall, by notification, establish with effect from such date as may be specified therein, a Committee to be called the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund Committee.

(2) The Committee shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and shall, by the said name, sue or be sued.

(3) The Committee shall consists of the following, namely:—

(a)	The Chairman of the Himachal Pradesh Bar Council-	ex-officio Chairman;
(b)	the Secretary (Law) to the Government-	ex-officio Member;
(c)	the Secretary (Home) to the Government-	ex-officio Member;
(d)	the Secretary (Finance) to the Government-	ex-officio Member;
(e)	the Registrar General of Himachal Pradesh High Court-	ex-officio Member;

(f) three members to be nominated from among the Advocate's clerks by such authority and in such manner as may be prescribed , of whom one shall be nominated by the Committee as the State treasurer of the Fund; and

(g) the Secretary to be appointed by the Chairman in accordance with such regulations as may be made by the Committee in respect of the recruitment and conditions of service of the Secretary:

Provided that the Secretary so appointed shall not have the right to vote at the meetings of the Committee.

(4) In case the Secretary (Law), Secretary (Home), or Secretary (Finance) to the Government is unable to attend the meeting of the Committee for any reason, he may depute any officer of his Department, not below the rank of Deputy Secretary to attend the meeting.

(5) In case the Registrar General of Himachal Pradesh High Court is unable to attend the meeting of the Committee for any reason, he may depute any officer not below the rank of Deputy Registrar to attend the meeting.

(6) A member nominated under clause (f) of sub-section (3) shall hold office for a term of three years from the date of such nomination or until he ceases to be a member of Advocate's Clerks Association, whichever is earlier.

(7) The Secretary shall be paid such remuneration out of the Fund as may be prescribed.

Disqualification and removal of nominated members of the Committee.

5. (1) A member nominated under clause (f) of sub-section (3) of section 4 shall be disqualified to be a member of the Committee and shall cease to be such member if he—

(a) becomes of unsound mind; or

(b) is adjudged as insolvent; or

(c) remains absent without leave of the Committee for more than three consecutive meetings of the Committee:

Provided that the member ceasing to hold office under this clause may be restored by the Committee, if such member makes an application for the condonation of the absence; or

(d) is a defaulter to the Fund (if he is a member of the Fund) or has committed breach of trust; or

(e) is convicted by a criminal court for an offence involving moral turpitude, unless such conviction has been set aside.

(2) The Chairman may remove any member who is or has become disqualified under sub-section (1) from the membership of the Committee:

Provided that no order removing any member shall be passed unless the member has been given an opportunity of being heard.

Resignation by nominated members of the Committee and filling of casual vacancies.

6. (1) Any member nominated under clause (f) of sub-section (3) of section 4 may resign his office by giving three months notice in writing to the Chairman and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated his office.

(2) Any casual vacancy in the office of a member referred to in sub-section (1) shall be filled as soon as possible and a member so nominated to such vacancy shall hold office for the residue of the term of his predecessor.

Act of the Committee not to be invalid by defect, vacancy etc.

7. No act done or proceeding taken under this Act or the rules made thereunder by the Committee shall be invalidated merely by reason of—

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Committee; or

(b) any defect or irregularity in nomination of any person as a member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the merits of the case.

8. The Fund shall vest in and be held and applied by the Committee subject to the provisions and for the purposes of this Act. Vesting and application of Fund.

9. (1) It shall be the function of the Committee to administer the Fund. Functions of the Committee.

(2) In the administration of the Fund, the Committee shall, subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder—

(a) hold the amounts and assets belonging to the Fund;

(b) receive application for admission or readmission to the Fund and dispose of such applications within sixty days from the receipt thereof;

(c) receive applications from the members of the Fund, their nominees or legal representatives, as the case may be, for payment out of the Fund;

(d) conduct such inquiry as it deems necessary, for the disposal of such applications and dispose of the applications with in five months from the date of receipt thereof;

(e) record in the minutes book of the Committee its decision on the applications;

(f) pay to the applicants amount at the rates specified in the Schedule;

(g) maintain such accounts and books and send such periodicals and annual reports to the Bar Council, as may be prescribed;

(h) communicate to the applicants under certificate of posting the decision of the Committee in respect of applications for admission or re-admission to the Fund or claims to the benefit of the Fund; and

(i) do such other acts, as are or may be, required to be done under this Act and the rules made thereunder.

Borrowing and investment of Fund.

10. (1) The Committee may, with the prior approval of the Bar Council, borrow, from time to time, any sum required for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Committee shall deposit all moneys and receipts forming part of the Fund in any Scheduled Bank as defined under the Reserve Bank of India Act, 1934 or invest the same in loans to any Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government or in any other manner as the Bar Council may, from time to time, direct with prior approval of the Government.

(3) All amount due and payable under this Act and all expenditure relating to the management and administration of the Fund shall be paid out of the Fund.

(4) The accounts of the Committee shall be audited annually by a Chartered Accountant appointed by the Committee.

(5) The accounts, as certified by the auditor together with the audit report thereon, shall be forwarded to the Bar Council by the Committee and the Bar Council may issue such directions as it deems fit to the Committee in respect thereof.

(6) The Committee shall comply with the directions issued by the Bar Council under sub-section (5).

Powers and functions of the Secretary.

11. The Secretary of the Committee shall—

(a) be the Chief Executive Authority of the Committee and responsible for carrying out its decisions;

(b) represent the Committee in all suits and proceedings for and against the Committee;

(c) authenticate by his signature all decisions and instructions of the Committee;

(d) operate the Bank Accounts of the Committee jointly with the Treasurer;

(e) convene meetings of the Committee and prepare their minutes;

(f) attend the meetings of the Committee with all necessary records and information;

(g) maintain such forms, registers and other records, as may be prescribed, and do all correspondence relating to the Committee;

(h) prepare an annual statement of business transacted by the Committee during each financial year; and

(i) do such other acts as may be directed by the Committee.

Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund Stamp.

12. (1) There shall be printed or caused to be printed by the Bar Council in such form and in such manner as may be prescribed, stamp inscribed "the Himachal Pradesh Advocate's Clerks Welfare Fund" each of the value of five rupees.

(2) Every vakalatnama or memorandum of appearance filed before any court, authority or tribunal shall be affixed with a stamp as specified in sub-section (1) in addition to the court fees stamps, if any, and stamp to be affixed under any other Acts and vakalatnama or memorandum of appearance shall not be valid unless it is so stamped :

Provided that this sub-section shall not apply to any vakalatnama or memorandum of appearance filed on behalf of the Central or State Government.

(3) The person or authority receiving vakalatnama with such stamp shall forthwith effect cancellation of the stamp by punching out the same.

(4) The custody of the stamps printed under this section shall be with the Bar Council and the supply and sale of stamps shall be in such manner as may be prescribed.

Recognition and registration of Advocate's Clerks Association.

13. (1) An Association of Advocate's Clerks constituted after the commencement of this Act may, within two months from the date of such constitution and an Association of Advocate's Clerks constituted before the commencement of this Act may, within two months from the date of commencement of this Act, apply to the Committee in such form and in such manner as may be prescribed, for recognition and registration as an Advocate's Clerks Association under this Act.

(2) Every application for recognition and registration shall be accompanied by the rules or bye-laws of the Association, names and addresses of the office bearers of the Association and an up-to-date list of the members of the Association with name, address, age and the ordinary place of employment of such member.

(3) The Committee may, after such inquiry as it deems necessary, recognize the Association as an Advocate's Clerks Association and issue a certificate of recognition in such form as may be prescribed.

(4) The decision of the Committee regarding the recognition of Association shall be final.

Duties of Advocate's Clerks Association.

14. (1) Every Advocate's Clerks Association shall, on or before 15th April every year, intimate to the Committee a list of its members as on 31st March of the year.

(2) Every Advocate's Clerks Association shall intimate to the Committee of,—

(a) any change of the office bearers of the Advocate's Clerks Association within fifteen days from such change;

(b) any change in number of members including admission and re-admission within thirty days of such change;

(c) the death or retirement of any of its members within thirty days from the date of occurrence thereof; and

(d) such other matters as may be required by the Committee from time to time.

Membership of the Fund.

15. (1) Every Advocate's Clerks in the State may apply to the Committee, in such form and in such manner as may be prescribed, for admission as a member of the Fund.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Committee shall make such enquiry as it deems fit and either admit the applicant to the Fund or for reasons to be recorded in writing, reject the application :

Provided that no order rejecting an application shall be passed unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(3) Every applicant shall pay an application fee of rupees one hundred alongwith application to the account of the Committee.

(4) Every applicant shall pay to the Fund an admission fee of rupees one hundred at the time of admission or re-admission.

(5) Every person admitted as a member of the Fund shall pay a membership fee of rupees one thousand five hundred payable in two equal half yearly installments.

(6) Every member of the Fund shall, at the time of admission, make a nomination conferring on one or more dependents of his family the right to receive the amount from the Fund in the event of his death. However, that if he has no family he may nominate any person he likes.

(7) If more than one person is nominated, the amount of share payable to each nominee shall be specified in the nomination.

(8) A member of the Fund may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Committee alongwith a fresh nomination.

(9) Where on receipt of a complaint or otherwise, the Committee has reason to believe that an Advocate's clerk secured admission as a member of the Fund by misrepresentation, fraud or undue influence, the Committee shall have power to remove the name of such Advocate's clerk from the membership of the Fund :

Provided that no such order shall be passed unless the person, likely to be affected adversely, has been given an opportunity of being heard.

Payment from the Fund on cessation of employment.

16. (1) A member of the Fund shall, on cessation of employment, be entitled to receive from and out of the Fund an amount at the rate specified in the Schedule.

(2) In the event of death of a member, a consolidated amount of rupees fifty thousand shall be paid to the nominee or, where there is no nominee, to his dependants.

(3) A member of the Fund may withdraw his membership at any time after five years of his admission as a member of the Fund and on such withdrawal he shall be entitled to receive from and out of the Fund an amount at the rate specified in the Schedule and he may also be eligible for re-admission to the Fund as a new member subject to such conditions as may be prescribed :

Provided that a member suffering from permanent disablement may withdraw his membership at any time.

(4) For calculating the period of completed years of employment for the purpose of payment under this Act, every four years of employment under an Advocate, if any, before the admission of a member to the Fund, shall be computed as one year of employment and added to the number of years of employment after such admission.

(5) An application for payment from the Fund shall be made to the Committee in such form as may be prescribed.

(6) An application received under sub-section (5), shall be disposed of by the Committee after such enquiry as it deems necessary.

estriction n ienation tachment c. of terest of ember in e Fund.

17. (1) The interest or the right of a member of the Fund or his nominee or legal heirs to receive any amount from the Fund, shall not be assigned, alienated or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order of any court, tribunal or other authority.

(2) No creditor shall be entitled to proceed against the Fund or the interest therein of any member of the Fund or his nominee or legal heirs.

Explanation.—For the purpose of this section, "creditor" includes the State, or any official assignee or official receiver appointed, under the law relating to insolvency for the time being in force.

oup Life surance d other nefits for mbers.

18. The Committee may, for the welfare of the members of the Fund,—

(a) take from the Life Insurance Corporation of India or any other Insurance Companies, policies of Group Insurance on the life of the members of the Fund; and

(b) provide for medical and educational facilities and such other benefits, as may be prescribed for the members of the Fund and their dependents.

Meetings of the Committee.

19. (1) The Committee shall meet at least once in three months or more often if found necessary to transact its business under this Act or the rule made thereunder.

(2) Five members shall from the quorum for a meeting of the Committee.

(3) The Chairman or in his absence, a member, elected by the members present at the meeting, shall preside over a meeting of the Committee.

(4) Any matter coming before the Committee in the meeting shall be decided by a majority of the members present and voting at the meeting and in case of tie, the Chairman shall have a casting vote.

Travelling and daily allowance to the members of the Committee.

20. The nominated members of the Committee shall be eligible to get such travelling allowance and daily allowance, as may be prescribed.

Review.

21. The Committee may, suo-motu, at any time or on an application from any interested person, within ninety days of any order passed by it, review any such order:

Provided that the Committee shall not pass any order adversely affecting a person, unless such person has been given an opportunity of being heard.

Protection of action taken in good faith.

22. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for any thing which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Committee or the Bar Council for any damage caused or likely to be caused by anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.

Bar of jurisdiction of Civil Courts.

23. No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or determine any matter which is under this Act required to be settled, decided or dealt with or determined by the Committee.

Power to summon witnesses and take evidence.

24. The Committee shall, for the purposes of any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:—

(a) enforcing the attendance of any person examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) issuing commission to the examination of witnesses.

Power to make rules.

25. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised of one session or two successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the next session immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Schedule

[See sections 2(o), 9(2) (f), 16 (1) and (3)]

		Rupees
One year as a member of the Fund	—	2,000/-
Two years as a member of the Fund	—	4,000/-
Three years as a member of the Fund	—	6,000/-
Four years as a member of the Fund	—	8,000/-
Five years as a member of the Fund	—	10,000/-
Six years as a member of the Fund	—	12,000/-
Seven years as a member of the Fund	—	14,000/-
Eight years as a member of the Fund	—	16,000/-
Nine years as a member of the Fund	—	18,000/-
Ten years as a member of the Fund	—	20,000/-
Eleven years as a member of the Fund	—	22,000/-
Twelve years as a member of the Fund	—	24,000/-
Thirteen years as a member of the Fund	—	26,000/-
Fourteen years as a member of the Fund	—	28,000/-
Fifteen years as a member of the Fund	—	30,000/-
Sixteen years as a member of the Fund	—	32,000/-
Seventeen years as a member of the Fund	—	34,000/-
Eighteen years as a member of the Fund	—	36,000/-
Nineteen years as a member of the Fund	—	38,000/-
Twenty years as a member of the Fund	—	40,000/-
Twenty one years as a member of the Fund	—	42,000/-
Twenty two years as a member of the Fund	—	44,000/-
Twenty three years as a member of the Fund	—	46,000/-
Twenty four years as a member of the Fund	—	48,000/-
Twenty five years as a member of the Fund	—	50,000/-
Twenty six years as a member of the Fund	—	52,000/-
Twenty seven years as a member of the Fund	—	54,000/-
Twenty eight years as a member of the Fund	—	56,000/-
Twenty nine years as a member of the Fund	—	58,000/-
Thirty years as a member of the Fund	—	60,000/-.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Supreme Court, Bar Clerks Association has filed Writ Petition (Civil) No. 959 of 2014 under article 32 of the Constitution of India in the Supreme Court of India titled as Supreme Court Bar Clerks Association V/s Union of India and others and the State of Himachal Pradesh has been made Respondent No. 16. The Petitioner has sought various reliefs including implementation of the right to Social Security measures guaranteed under the Constitution by initiating a frame work legislation. It is admitted fact that Advocate's clerks works almost day and night without availing any holiday or leave benefits to assist the Advocates in the service of their clients. The nature of the work is such that these clerks cannot afford to remain absent. Though some clerks in the legal sector are generously paid by the Advocates and litigants than the clerks in other sectors, but this is not considered to be a substitute for the social security benefits. It is considered that social security measures instil sense of security and dignity in the clerks and their dependents which may go a long way in contributing to the efficiency in justice delivery system. It is also an admitted fact that after working for three to four decades in the service of justice, they do not get any assured benefits, except some charity. Some time premature death of some clerks exposed their families to poverty. In order to provide financial and social benefits to them, it has been considered just and reasonable to bring a law which may provide for certain financial benefits to the Advocate's clerks in the State on retirement or death. Thus, it has been decided to enact a law which may provide for the constitution of Welfare Fund and utilization thereof for promotion of Advocate's clerks in the State. The main objective of this legislation is to constitute a Fund to be called the "Advocate's Clerks Welfare Fund". The fund shall be generated by way of sale of Advocate's Clerks Welfare Fund Stamps, any voluntarily donation or contribution made by Bar Council, any Bar Association or any other institution, Advocate or any other person, sums received from Insurance Companies and sums received on account of registration, membership and admission fee. The Advocate's Clerks, after becoming members to the Fund, shall be entitled to a fixed amount as per Schedule to the proposed legislation and in the event of death of a member, a consolidated amount of Rs. 50,000/- shall be paid to the nominee or to his dependents, as the case may be. It is a social security and welfare legislation which will immensely benefit the Advocate's clerks for their services to the society.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The……………, 2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 25 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATE'S CLERKS WELFARE FUND BILL, 2015

A

BILL

to provide for the constitution of a Welfare Fund and utilization thereof for promotion of the Advocate's clerks in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

(KAUL SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Secretary (Law).

SHIMLA :

THE ...., 2015.